ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

सूचना का अधिकारः मीडिया का अचूक हथियार

डा. सुनील कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

स्वतंत्र भारत में लोगों को मिले मौलिक अधिकार के बाद सूचना का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसके लागू होने के बाद सामाजिक संगठनों के तो ऐसे मालूम होता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। खासतौर से यह लग रहा है कि मीडिया को अचूक हथियार मिल गया है। हालांकि इसे समाचार का स्रोत तो नहीं मान रहे हैं मगर खोजी पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टरों के लिए यह बहुत ही संजीदा हथियार है। आज सामाजिक संगठन हो या कोई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इसका जमकर उपयोग कर रहा है। इस मामले में पत्रकार भी पीछे नहीं हैं, वह सूचना एकत्र करने और उसे प्रमाणित बनाने में भी इस अधिनियम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक लोग तो अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार बिल में संशोधन करके नया विधेयक 2019 में पेश कर दिया। इस विधेयक का कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना था कि इससे विधेयक के उद्देश्य की मूल आत्मा मर गई है। साथ ही इसकी पारदर्शिता पर भी चोट की गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि अब सरकार की मर्जी पर है कि वह सूचना दे या नहीं। कहने का अभिप्राय यह कि इस कानून को भोथरा बना दिया गया है।

सूचना का अधिकार 2005

Copyright ⓒ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

सूचना के अधिकार की कल्पना करने वाले लोगों ने शायद ही यह सोचा होगा कि आने वाले समय में यह आम आदमी को खास बनाने की सदी की महानतम पहल होगी। सूचना के अधिकार 2005 की प्राप्ति के बाद लगभग आठ साल बीत चुके हैं। इसके अच्छे- बुरे परिणामों के आकलन का यह सबसे सही समय है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 31 धारा है। इसे राज्य स्वामित्व वाले इकाइयों एवं क्षेत्रों में लागू किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पूर्ण और अर्धवित्त पोषित इकाइयों पर यह प्रभावी है। हालांकि निजी क्षेत्र इससे बाहर हैं। इसके अन्तर्गत सूचनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम कोटि में सामान्य सूचना आती है। इसे निःशुल्क आधार पर लोगों को सुलभ कराना आवश्यक है। इसमे संस्थाओं के अधिनियम परिनियम, दैनिक कार्यवाई, जांच समितियों की रिपोर्ट आदि को कंम्यूटर नेटवर्क पर रखना आवश्यक है। यह प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद -4 में है, लेकिन इस अनुच्छेद की व्यवस्था का सम्यक रूप से पालन नहीं हो रहा है। दूसरे प्रकार की सूचना में इस सामान्य सूचना के अलावा कार्यालयी टिप्पणी एवं अन्य पत्रावलियों आदि से संबंधित सूचना है, जिन सूचनाओं के लिए शुल्क आधारित सूचना प्राप्ति की व्यवस्था है। यहीं जनसूचना अधिकारी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के विभागों से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराएगा। इसके उपलब्ध कराने की मियाद केवल 30 दिन ही होती है। मगर मानवाधिकार और दुष्कर्म के मामले में 48 घंटे में सूचना देना जरूरी है। राष्ट्रीय हित, विदेश संबंध, गुप्तचर और सुरक्षा बल आदि इसके दायरे में नहीं आते हैं। जनसूचना अधिकारी के सूचना नहीं देने पर उसके संवर्ग के अधिकारी के यहां अपील की व्यवस्था है। इस अपीलीय अफसर से भी सूचना न मिलने पर 90 दिनों के भीतर अपील के लिए केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की भी व्यवस्था है।

नए विधेयक में क्या हैं खास

Copyright ⓒ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

- विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 13 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तो का उपबंध करती है. इसमें उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन , भत्ते और शर्ते क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी।
- इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमश : निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगी।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य हैं. ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त , सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य हो जाते हैं।
- वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग , सूचना अधिकार अधिनियम2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय है. ऐसे में इनकी सेवा शर्तो को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।
- संशोधन विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय होगी।
-

क्या है सूचनाः

सूचना का अर्थ पत्रकारिता और समाज में अलग–अलग है। इस अधिनियम के तहत सूचना का अर्थ निर्धारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2 (च) के अनुसार –अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज, पत्र, नमूने, माडल, आकड़ों संबंधी सामग्री को सूचना के रूप

Copyright ⓒ 2020 Authors

में सम्मिलित किया गया है। यह सूचना सिर्फ सरकारी क्षेत्र की ही हो, यह संभ्भव नहीं है। किसी भी लोक अधिकारी की पहुंच में आने वाली प्राइवेट कंपनियां। रियायती दर पर जमीन प्राप्त करने वाली निजी स्कूल आदि की सूचना भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त इस एक्ट की धारा-2 (झ) के अनुसार -पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोचिप, माइक्रोफिल्म, के प्रतिबिम्ब और कंप्यूटर उत्पादित सामग्री सूचना के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी अधिनियम की धारा-(2) के अंतर्गत टिप्पणी भी सूचना के अधिकार के दायरे में है। इसके अलावा समय-समय पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग एवं न्यायालयों की ओर से आए निर्णयों के आलोक में सूचना का अर्थ और मदों की संख्या बढ़ी है। भविष्य में इसके और भी बढ़ने की सम्भावना है।

सूचना अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

1. देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय का हो।
2. जिस भी अधिकारी से सूचना की मांग प्रस्तुत की जाती है तो उस अधिकारी की बाध्यता है कि वह सूचना उपलब्ध कराए।
3. केंद्र और राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र निकाय के रूप में सूचना आयोगों की स्थापना करना।
4. सूचना प्राप्त करने के अधिकार में अभिलेखों की जांच पड़ताल तथा आकड़ों की प्रति प्राप्त करना भी शामिल है।
5. अधिकारियों को सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर इस पर कारर्वाई करनी होगी। यदि यह जीवन और स्वतंत्रता का मामला हो।

Copyright ⓒ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

6. जनसूचना अधिकारियों को नागरिकों की ओर से मांगी गई सूचना को 30 दिनों के भीतर देना आवश्यक है।
7. सूचना प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कारर्वाई का प्रावधान है। सूचना में अनुचित विलंब के लिए सूचना आयोग 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगा सकता है। अनुरोध को मानने से इनकार करने या जानबूझकर गलत सूचना देने आदि अपराधों के लिए अधिकतम 25000 रुपये के आथिर्क दंड का भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया है।

सूचना पाने की प्रक्रियाः

आवेदन अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषओं में तैयार होना चाहिए।

आवेदन में निम्न सूचनाएं देनी जरूरी हैः

1. सहायक लोक सेवा अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसके दफ्तर का पता–
2. विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन।
3. सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं।
4. आवेदनकर्ता का नाम
5. पिता/ पति का नाम
6. वर्ग– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछ्ड़ी जाति
7. आवेदन शुल्क
8. क्या आप गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं–हां/ नहीं

Copyright ⓒ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

9. मोबाईल नंबर, ई-मेल पता (अनिवार्य नहीं)
10. पत्राचार हेतु डाक पता
11. स्थान तथा तिथि
12. आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर
13. संलग्नकों की सूचीः

कुछ बड़े समाचार-पत्रों की खबर

अक्तूर माह 2014

नई दुनिया (हिंदी दैनिक)

1. पति-पत्नी भी नहीं जान सकते एक-दूसरे की हैसियत
2. आरटीआई - नहीं मिल रही है फाइल, कहा तो गिरेगी गाज
3. अर्जी लंबित होने के दौरान दस्तावेज नष्ट नहीं किए जा सकते
4. कालेधन पर अध्ययन रिपोर्ट स्वीकार करने की वित्त मंत्रालय को फुर्सत नहीं
5. राहुल, आडवाणी ने नहीं दी संपत्ति की जानकारी
6. दो साल में राजनीतिक दलों को 1381 करोड़ की कर छूट
7. पूर्व अपर कलेक्टर चुकाएंगे आरटीआई की फीस

दैनिक जागरण (हिंदी दैनिक)

1 आरटीआई के जवाब में ढाई किलो की रद्दी

2. आडवाणी समेते 401 सांसदों ने नहीं दी संपति की जानकारी

3.नहीं बंद होगी सांसद निधि योजना

4. राष्ट्रपति के पास पहुंचा सीआईसी का मसला

संदर्भ ग्रंथ

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

1. भानावत, डा. संजीव माथुर क्षिप्रा (संपादक), समाचार पत्र व्यवसाय एवं प्रेस कानून, जनसंचार केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। दूसरा संस्करण, 2006। पृष्ठ संख्या–185।
2. सिंह, ओमप्रकाश, संचार और पत्रकारिता के विविध आयाम, क्लासिकिल पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली प्रथम संस्करण–2004। पृष्ठ संख्या–270।
3. मीडिया (प्रवेशांक, अप्रैल–जून, 2006) सूचना का अधिकार, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।। पृष्ठ संख्या–15।
4. भानावत, डा. संजीव माथुर क्षिप्रा (संपादक), समाचार पत्र व्यवसाय एवं प्रेस कानून, जनसंचार केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। दूसरा संस्करण, 2006। पृष्ठ संख्या–184।
5. विष्णु राजगढ़िया एवं अरविंद केजरीवाल, 2009 सूचना का अधिकार व्यावहारिकता मार्गदर्शिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. प्रकाश कुमार एवं के.बी.राय, 2008 सूचना का अधिकार, प्रभात पेपरबैक्स नई दिल्ली।
7. दीक्षित मीनल, कानून के फायदे, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
8. विदुर त्रैमालिर पत्रिका, 2002, अक्तूबर–सितंबर।
9. सूचना का अधिकार, योजना–जनवरी, 2006, प्रशासन में स्थायी परिवर्तन, पेज नंबर–21।

Copyright ⓒ 2020 Authors